उत्तर प्रदेश में बाल भिक्षावृत्ति के उन्मूलन में राज्य एवं गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका: विधिक संरक्षण, बचाव एवं पुनर्वास व्यवस्था का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

रोहित सिंह यादव [1], डॉ. प्रेमचंद [2]

[1] शोध छात्र, सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ

[2] प्रोफेसर, शोध निर्देशक, सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ

सारांश

बाल भिक्षावृत्ति भारत की एक गंभीर सामाजिक एवं विधिक समस्या है, जो बच्चों के गरिमापूर्ण जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास के अधिकार को प्रभावित करती है। गरीबी, बेरोजगारी, पारिवारिक अस्थिरता, अशिक्षा, सामाजिक बहिष्कार तथा बच्चों के शोषण जैसे अनेक कारण बाल भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में यह समस्या विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बाल भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि प्रभावी बचाव, संरक्षण और पुनर्वास की भी आवश्यकता है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं उन्मूलन में राज्य तथा गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका का अनुभवजन्य अध्ययन करना है। अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि संबंधित कानूनों एवं सरकारी योजनाओं का वास्तविक स्तर पर कितना प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है तथा बाल भिक्षुकों के बचाव और पुनर्वास में सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाएँ किस प्रकार कार्य कर रही हैं। शोध में बाल कल्याण समिति, पुलिस, जिला प्रशासन, बाल संरक्षण इकाइयों तथा गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका का भी अध्ययन किया जाएगा। साथ ही पुनर्वास के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार से पुनर्मिलन और सामाजिक पुनर्स्थापन जैसी व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। अध्ययन का उद्देश्य वर्तमान व्यवस्था की कमियों को पहचानकर बाल भिक्षावृत्ति के प्रभावी उन्मूलन एवं बच्चों के सम्मानजनक पुनर्वास के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना है।

शब्द-बीज: बाल भिक्षावृत्ति, बाल अधिकार, विधिक संरक्षण, राज्य की भूमिका, गैर-सरकारी संगठन, बचाव, पुनर्वास, उत्तर प्रदेश, अनुभवजन्य अध्ययन, सामाजिक न्याय।

प्रस्तावना

बाल भिक्षावृत्ति भारतीय समाज की एक गंभीर सामाजिक, आर्थिक एवं विधिक समस्या है। सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों, बाजारों तथा यातायात के प्रमुख स्थानों पर बच्चों को भीख मांगते हुए देखा जा सकता है। यह स्थिति केवल गरीबी का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे बेरोजगारी, अशिक्षा, पारिवारिक अस्थिरता, सामाजिक असमानता, शोषण, बाल श्रम तथा कभी-कभी संगठित भिक्षावृत्ति जैसे कारण भी जिम्मेदार होते हैं। बाल भिक्षावृत्ति बच्चों के सामान्य विकास को प्रभावित करती है और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सम्मानजनक जीवन के अवसरों से दूर कर देती है। भारतीय संविधान बच्चों के संरक्षण एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान

*Corresponding Author Email: rohitsingh10988@gmail.com
Published: 22 August 2026
DOI: https://doi.org/10.70558/SPIJSH.2026.v3.i8.45890
Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

करता है। अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन, अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार तथा अनुच्छेद 24 बाल श्रम से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त राज्य के नीति-निर्देशक तत्व भी बच्चों के स्वस्थ विकास और शोषण से सुरक्षा पर बल देते हैं। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न कानून एवं संस्थागत व्यवस्थाएँ भी बनाई गई हैं। इसके बावजूद बाल भिक्षावृत्ति की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का आकार, शहरीकरण, गरीबी तथा सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ इस समस्या को अधिक जटिल बनाती हैं। बाल भिक्षावृत्ति के उन्मूलन में राज्य सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई तथा गैर-सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। केवल बच्चों को सार्वजनिक स्थानों से हटाना पर्याप्त नहीं है; उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा दीर्घकालीन पुनर्वास की व्यवस्था आवश्यक है।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में बाल भिक्षावृत्ति के उन्मूलन हेतु राज्य एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का अनुभवजन्य अध्ययन करना है। अध्ययन के माध्यम से विधिक प्रावधानों के वास्तविक क्रियान्वयन, बचाव एवं पुनर्वास व्यवस्था की प्रभावशीलता तथा संबंधित संस्थाओं के बीच समन्वय का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही, वर्तमान व्यवस्था की कमियों को पहचानकर बाल भिक्षावृत्ति के प्रभावी उन्मूलन और बच्चों के गरिमापूर्ण पुनर्वास के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे।

बाल भिक्षावृत्ति की अवधारणा, प्रकृति एवं स्वरूप

बाल भिक्षावृत्ति भारतीय समाज की एक गंभीर सामाजिक एवं मानवाधिकार संबंधी समस्या है। सामान्य अर्थ में जब कोई बच्चा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से धन, भोजन या अन्य वस्तुओं की मांग करता है, तो इसे बाल भिक्षावृत्ति कहा जाता है। यह समस्या केवल आर्थिक गरीबी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार से भी है। अनेक परिस्थितियों में बच्चे अपनी इच्छा से भिक्षावृत्ति नहीं करते, बल्कि गरीबी, पारिवारिक परिस्थितियों, शोषण या अन्य व्यक्तियों के दबाव के कारण इस कार्य में शामिल होते हैं।

बाल भिक्षावृत्ति की अवधारणा को बाल अधिकारों के दृष्टिकोण से समझना अधिक उचित है। प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण में विकसित होने, शिक्षा प्राप्त करने और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। जब कोई बच्चा लंबे समय तक भीख मांगने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर रहता है, तो वह विद्यालय, परिवार और सुरक्षित सामाजिक वातावरण से दूर हो जाता है। इस कारण बाल भिक्षावृत्ति को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या न मानकर बाल संरक्षण, सामाजिक न्याय और मानव गरिमा से जुड़ी समस्या के रूप में देखना आवश्यक है।

बाल भिक्षावृत्ति की प्रकृति बहुआयामी है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पारिवारिक विघटन, पलायन, सामाजिक असमानता और बाल शोषण इसके प्रमुख कारणों में शामिल हैं। कुछ बच्चे अपने माता-पिता या अन्य परिवार के सदस्यों के साथ भीख मांगते हैं, जबकि कुछ बच्चे अकेले सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई देते हैं। कुछ परिस्थितियों में बच्चों का उपयोग दूसरे व्यक्तियों द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति बच्चों को हिंसा, अपराध, नशे और अन्य प्रकार के शोषण के प्रति संवेदनशील बना देती है।

बाल भिक्षावृत्ति का स्वरूप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग दिखाई देता है। शहरों में बच्चे चौराहों, बाजारों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन क्षेत्रों में भीख मांगते हुए पाए जाते हैं। कई बार बच्चे फूल, खिलौने या अन्य छोटी वस्तुएँ बेचने के साथ-साथ लोगों से पैसे भी मांगते हैं। इससे बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति के बीच अंतर करना भी कठिन हो जाता है। अतः बाल भिक्षावृत्ति एक जटिल समस्या है, जिसके समाधान के लिए

केवल बच्चों को सार्वजनिक स्थानों से हटाना पर्याप्त नहीं है। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवार से पुनर्मिलन और दीर्घकालीन पुनर्वास की व्यवस्था आवश्यक है। राज्य, स्थानीय प्रशासन तथा गैर-सरकारी संगठनों के समन्वित प्रयासों से ही बाल भिक्षावृत्ति के प्रभावी उन्मूलन और बच्चों के सम्मानजनक पुनर्वास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में बाल भिक्षावृत्ति के सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक कारण

उत्तर प्रदेश में बाल भिक्षावृत्ति एक जटिल सामाजिक समस्या है, जिसका संबंध केवल गरीबी से नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियों के संयुक्त प्रभाव से है। सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, बाजारों, चौराहों तथा धार्मिक स्थलों पर बच्चों का भीख मांगना उनके शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। बाल भिक्षावृत्ति बच्चों को शिक्षा और सुरक्षित बचपन से दूर करने के साथ-साथ उन्हें शोषण, हिंसा, नशे और अपराध जैसी परिस्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है।

सामाजिक कारण

बाल भिक्षावृत्ति के सामाजिक कारणों में अशिक्षा, सामाजिक असमानता, सामाजिक बहिष्कार, जागरूकता की कमी और कमजोर सामाजिक सुरक्षा प्रमुख हैं। अनेक गरीब परिवारों में शिक्षा के महत्व के प्रति पर्याप्त जागरूकता नहीं होने के कारण बच्चे विद्यालय जाने के बजाय परिवार की आय में सहयोग करने लगते हैं। समाज में भीख देने की परंपरा भी इस समस्या को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देती है। विशेषकर धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों को आसानी से धन या भोजन मिलने के कारण भिक्षावृत्ति उनके लिए आय का साधन बन सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर होने वाला पलायन भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारण है। रोजगार की तलाश में शहर आने वाले गरीब परिवारों के बच्चों के पास पर्याप्त आवास, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की सुविधा नहीं होती। परिणामस्वरूप वे सार्वजनिक स्थानों पर रहने और भीख मांगने के लिए मजबूर हो सकते हैं। सामाजिक असुरक्षा तथा समुदाय से अलगाव भी बच्चों की स्थिति को और कमजोर करता है।

आर्थिक कारण

आर्थिक अभाव बाल भिक्षावृत्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। बेरोजगारी, कम आय, अस्थायी रोजगार, ऋण, महँगाई और परिवार के सदस्यों की अधिक संख्या के कारण अनेक परिवार अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में बच्चों को भी परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए भीख मांगने या अन्य अनौपचारिक कार्यों में लगाया जा सकता है।

आर्थिक समस्या का प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ता है। जब परिवार भोजन और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है, तब शिक्षा पर होने वाला खर्च उसके लिए अतिरिक्त बोझ बन जाता है। विद्यालय छोड़ने के बाद बच्चा सार्वजनिक स्थानों पर अधिक समय बिताने लगता है और धीरे-धीरे भिक्षावृत्ति उसकी नियमित गतिविधि बन सकती है। इस प्रकार गरीबी, शिक्षा से वंचित होना और भिक्षावृत्ति एक-दूसरे को मजबूत करने वाला चक्र बन जाते हैं।

पारिवारिक कारण

बाल भिक्षावृत्ति के पीछे पारिवारिक परिस्थितियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माता-पिता की मृत्यु, पारिवारिक विघटन, घरेलू हिंसा, नशे की समस्या, माता-पिता की बेरोजगारी, उपेक्षा और परिवार में अत्यधिक आर्थिक दबाव बच्चों को असुरक्षित बना सकते हैं। कुछ मामलों में माता-पिता स्वयं बच्चों को भीख मांगने के लिए भेजते हैं, जबकि

कुछ बच्चे परिवार से अलग होकर स्वयं सार्वजनिक स्थानों पर रहने लगते हैं। अनाथ, परित्यक्त और परिवार से बिछड़े बच्चों की स्थिति विशेष रूप से संवेदनशील होती है। यदि ऐसे बच्चों को समय पर सुरक्षित आश्रय, भोजन, शिक्षा और संरक्षण उपलब्ध नहीं होता, तो वे भिक्षावृत्ति और अन्य प्रकार के शोषण के शिकार हो सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में बच्चों का आर्थिक लाभ के लिए दूसरों द्वारा उपयोग किया जाना भी गंभीर चिंता का विषय है।

बाल भिक्षावृत्ति से संबंधित संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान

भारत में बाल भिक्षावृत्ति को नियंत्रित करने के लिए संविधान, विभिन्न केंद्रीय कानूनों तथा बाल संरक्षण से संबंधित संस्थागत व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान बच्चों के सम्मानजनक जीवन, शिक्षा, सुरक्षा और शोषण से संरक्षण को विशेष महत्व देता है।

संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। बाल भिक्षावृत्ति से प्रभावित बच्चों को भी समान संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 15(3) राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बेगार का निषेध करता है। यदि बच्चों को जबरन या शोषण के उद्देश्य से भिक्षावृत्ति में लगाया जाता है, तो यह प्रावधान विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों तथा अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित करने से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 39(e) एवं 39(f) राज्य को बच्चों के स्वास्थ्य, शक्ति और विकास की रक्षा तथा उन्हें शोषण एवं नैतिक तथा भौतिक परित्याग से बचाने का निर्देश देते हैं।

उत्तर प्रदेश में बाल भिक्षावृत्ति से संबंधित विधिक प्रावधान

उत्तर प्रदेश में बाल भिक्षावृत्ति की समस्या से निपटने के लिए राज्य के विशिष्ट कानूनों के साथ-साथ केंद्रीय बाल संरक्षण कानून भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य में भिक्षावृत्ति से संबंधित प्रमुख कानून उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति को नियंत्रित करना तथा भिक्षावृत्ति से जुड़े व्यक्तियों के संबंध में कानूनी एवं पुनर्वास संबंधी व्यवस्था करना है। हालांकि बच्चों के मामले में किसी भी कार्रवाई का उद्देश्य केवल उन्हें दंडित करना नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करना होना चाहिए। बाल भिक्षावृत्ति के संदर्भ में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 अत्यंत महत्वपूर्ण है। भिक्षावृत्ति में पाए जाने वाले बच्चे परिस्थितियों के अनुसार "देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे" की श्रेणी में आ सकते हैं। ऐसे बच्चों के बचाव, संरक्षण, देखभाल, शिक्षा, परिवार से पुनर्मिलन और पुनर्वास की जिम्मेदारी निर्धारित संस्थाओं पर आती है। बाल कल्याण समिति (CWC) ऐसे बच्चों की देखभाल और संरक्षण से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत बाल अधिकारों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर संस्थागत व्यवस्था की गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों को शिक्षा से जोड़ना उनके पुनर्वास का प्रमुख हिस्सा है। इसी प्रकार बाल एवं किशोर श्रम से संबंधित कानून बच्चों को आर्थिक शोषण से बचाने में सहायक हैं। यदि बच्चों को जबरन भिक्षावृत्ति में लगाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है या उन्हें किसी संगठित गतिविधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो परिस्थितियों के अनुसार अन्य आपराधिक कानूनों के प्रावधान

भी लागू हो सकते हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में बाल भिक्षावृत्ति से संबंधित विधिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य बचाव, संरक्षण, शिक्षा, पुनर्वास और बच्चों के गरिमापूर्ण जीवन की पुनर्स्थापना होना चाहिए।

राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की भूमिका

उत्तर प्रदेश में बाल भिक्षावृत्ति के उन्मूलन में राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाल भिक्षावृत्ति केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि बाल संरक्षण, शिक्षा, सामाजिक न्याय और पुनर्वास से जुड़ा विषय है। इसलिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन का दायित्व बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने के साथ-साथ उनके सुरक्षित एवं सम्मानजनक भविष्य को सुनिश्चित करना भी है।

राज्य सरकार की प्रमुख भूमिका बाल संरक्षण से संबंधित नीतियों, कानूनों, योजनाओं एवं संस्थागत व्यवस्थाओं को प्रभावी रूप से लागू करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3), 21, 21A, 23, 24 तथा 39(e)-(f) बच्चों के संरक्षण एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बचाव, देखभाल, संरक्षण, शिक्षा, परिवार से पुनर्मिलन और पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार को बाल संरक्षण संस्थाओं, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए। जिला प्रशासन राज्य की नीतियों को स्थानीय स्तर पर लागू करने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा गैर-सरकारी संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों पर बाल भिक्षावृत्ति की पहचान एवं रोकथाम, बच्चों के सुरक्षित बचाव और उन्हें उचित बाल संरक्षण संस्थाओं तक पहुंचाने में जिला प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बचाव के बाद बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षित आवास तथा परिवार से पुनर्मिलन की स्थिति का आकलन भी आवश्यक है। साथ ही परिवारों को उपलब्ध सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से जोड़ना चाहिए, ताकि बच्चे दोबारा भिक्षावृत्ति में न लौटें।

अतः राज्य सरकार की प्रभावी नीतियों और जिला प्रशासन की सक्रिय कार्यवाही के साथ निरंतर निगरानी, संस्थागत समन्वय और दीर्घकालीन पुनर्वास को प्राथमिकता देकर बाल भिक्षावृत्ति के स्थायी उन्मूलन की दिशा में प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

पुलिस एवं बाल संरक्षण संस्थाओं की भूमिका

बाल भिक्षावृत्ति के उन्मूलन में पुलिस एवं बाल संरक्षण संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने की प्रक्रिया केवल उन्हें सार्वजनिक स्थानों से हटाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके संरक्षण, देखभाल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस दृष्टि से पुलिस तथा बाल संरक्षण संस्थाओं के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है। पुलिस की भूमिका बाल भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों की पहचान, बचाव तथा उनके शोषण की रोकथाम से जुड़ी है। पुलिस सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, बाजार, चौराहे एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में बाल भिक्षावृत्ति की स्थिति पर निगरानी रख सकती है। यदि किसी बच्चे को जबरन भिक्षावृत्ति में लगाया जा रहा हो अथवा उसके साथ शोषण, हिंसा, तस्करी या अन्य आपराधिक गतिविधि जुड़ी हो, तो पुलिस द्वारा कानून के अनुसार कार्रवाई करना आवश्यक है। बचाव के समय बच्चे के साथ संवेदनशील एवं बाल-अनुकूल व्यवहार किया जाना चाहिए तथा उसे उचित बाल संरक्षण संस्था के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बाल संरक्षण संस्थाओं में विशेष रूप से बाल कल्याण समिति (CWC) तथा जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) महत्वपूर्ण हैं। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत देखरेख एवं संरक्षण की

आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों में बाल कल्याण समिति महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। समिति बच्चे की सामाजिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों का आकलन करके उसके सर्वोत्तम हित में आवश्यक संरक्षण एवं पुनर्वास की व्यवस्था कर सकती है। जिला बाल संरक्षण इकाई संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा बाल संरक्षण सेवाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करती है। बचाए गए बच्चों को सुरक्षित आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, परामर्श और शिक्षा उपलब्ध कराना तथा उचित परिस्थितियों में परिवार से पुनर्मिलन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना आवश्यक है। इस प्रकार पुलिस की प्रभावी कार्रवाई और बाल संरक्षण संस्थाओं की संवेदनशील एवं बाल-केंद्रित कार्यप्रणाली मिलकर बच्चों को भिक्षावृत्ति से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। बचाव के साथ दीर्घकालीन पुनर्वास और पुनः भिक्षावृत्ति में जाने से रोकना इस पूरी व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।

गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका एवं योगदान

बाल भिक्षावृत्ति के उन्मूलन में गैर-सरकारी संगठनों (**Non-Governmental Organizations—NGOs**) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संगठन सरकार और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं तथा बाल भिक्षावृत्ति से प्रभावित बच्चों तक सीधे पहुंचने में सहायता करते हैं। विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ सरकारी संस्थाओं की पहुंच सीमित होती है, गैर-सरकारी संगठन बच्चों की पहचान, बचाव, संरक्षण और पुनर्वास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

गैर-सरकारी संगठनों का पहला महत्वपूर्ण कार्य जागरूकता एवं रोकथाम है। इनके द्वारा परिवारों, समुदायों, विद्यालयों और आम नागरिकों को बाल भिक्षावृत्ति के दुष्परिणामों तथा बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सकता है। साथ ही, बच्चों को भीख देने के बजाय उन्हें उचित बाल संरक्षण संस्थाओं तक पहुंचाने के लिए समाज को प्रेरित किया जा सकता है।

NGOs सार्वजनिक स्थानों पर बाल भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों की पहचान कर संबंधित प्रशासन एवं पुलिस को सूचना देने तथा बचाव प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं। बचाव के बाद बच्चों को भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य सेवा, परामर्श, अस्थायी आश्रय और शिक्षा उपलब्ध कराने में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है। बच्चों की मानसिक एवं सामाजिक स्थिति को समझने के लिए मनो-सामाजिक परामर्श भी पुनर्वास का आवश्यक हिस्सा है। **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015** के अंतर्गत निर्धारित बाल संरक्षण व्यवस्था के साथ समन्वय करते हुए गैर-सरकारी संगठन बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन में सहयोग कर सकते हैं। वे बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस तथा जिला प्रशासन के साथ मिलकर बच्चों को परिवार से पुनर्मिलन, शिक्षा और कौशल विकास से जोड़ने में सहायता कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त **NGOs** परिवारों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने, अभिभावकों को जागरूक करने तथा बच्चों को दोबारा भिक्षावृत्ति में जाने से रोकने के लिए निरंतर सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका केवल बचाव तक सीमित न होकर रोकथाम, संरक्षण, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन तक विस्तृत होनी चाहिए। सरकार और **NGOs** के बीच प्रभावी समन्वय, पारदर्शिता तथा नियमित निगरानी से बाल भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के प्रयास अधिक प्रभावी बनाए जा सकते हैं।

बाल भिक्षुकों के बचाव, संरक्षण और पुनर्वास की प्रक्रिया

बाल भिक्षावृत्ति में पाए जाने वाले बच्चों का बचाव, संरक्षण और पुनर्वास एक संवेदनशील तथा बहु-स्तरीय प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य केवल बच्चे को सार्वजनिक स्थान से हटाना नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित वातावरण प्रदान करके

शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार और समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 इस प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण विधिक आधार प्रदान करता है।

बच्चे की पहचान एवं बचाव

प्रक्रिया का पहला चरण सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों की पहचान करना है। पुलिस, जिला प्रशासन, बाल संरक्षण इकाइयाँ तथा गैर-सरकारी संगठन ऐसे बच्चों की पहचान में सहयोग कर सकते हैं। बचाव के दौरान बच्चे के साथ सम्मानजनक एवं बाल-अनुकूल व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि बच्चे के साथ शोषण, हिंसा या जबरन भिक्षावृत्ति के संकेत हों, तो संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाती है।

संरक्षण एवं प्रारंभिक देखभाल

बचाव के बाद बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसकी तत्काल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। इसमें भोजन, वस्त्र, प्राथमिक स्वास्थ्य जांच, सुरक्षित आवास तथा मनो-सामाजिक सहायता शामिल हो सकती है। बच्चे की परिस्थितियों और आवश्यकता का आकलन करते हुए उसे संबंधित **बाल कल्याण समिति (CWC)** के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। समिति बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए आगे की देखभाल एवं संरक्षण के संबंध में निर्णय करती है।

सामाजिक एवं पारिवारिक मूल्यांकन

बच्चे की पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। यदि परिवार सुरक्षित और बच्चे के हित में उपयुक्त पाया जाता है, तो परिवार से पुनर्मिलन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इसके विपरीत, असुरक्षित परिस्थितियों में बच्चे को उपयुक्त बाल देखभाल संस्था में रखा जा सकता है।

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन

पुनर्वास का उद्देश्य बच्चे को दोबारा भिक्षावृत्ति में जाने से रोकना है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास, परामर्श तथा सामाजिक पुनर्स्थापन पर ध्यान दिया जाता है। परिवार को आवश्यक सरकारी योजनाओं से जोड़ना भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार बचाव से लेकर पुनर्वास तक पूरी प्रक्रिया बाल-केंद्रित, संवेदनशील और बच्चे के सर्वोत्तम हित पर आधारित होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण जीवन का अवसर मिल सके।

शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक पुनर्स्थापन की स्थिति

बाल भिक्षावृत्ति बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। जो बच्चे नियमित रूप से सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगते हैं, वे प्रायः विद्यालयी शिक्षा से दूर हो जाते हैं। लंबे समय तक विद्यालय से बाहर रहने के कारण उनमें पढ़ाई के प्रति रुचि कम हो सकती है और वे भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसरों से वंचित रह सकते हैं। इसलिए बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना पुनर्वास प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009** के तहत **6 से 14 वर्ष** की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। पुनर्वास के दौरान बच्चों को विद्यालय में प्रवेश, आवश्यक शैक्षिक सहायता तथा नियमित उपस्थिति के लिए प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बाल भिक्षुक अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर लंबे समय तक रहने के कारण उन्हें कुपोषण, संक्रमण, मौसम संबंधी समस्याओं तथा शारीरिक चोटों का सामना करना पड़ सकता है। कई बच्चों को पर्याप्त भोजन, स्वच्छ

पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं। इसलिए बचाव के बाद स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक उपचार, पोषण, स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक है। विशेष रूप से मानसिक एवं मनो-सामाजिक सहायता बच्चों के आत्मविश्वास और सामान्य जीवन में वापसी के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक पुनर्स्थापन का उद्देश्य बच्चे को परिवार और समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक वापस लाना है। इसके लिए परिवार की परिस्थितियों का मूल्यांकन, परिवार से पुनर्मिलन, परामर्श और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना आवश्यक है। यदि परिवार बच्चे के लिए सुरक्षित नहीं है, तो वैकल्पिक संरक्षण एवं पुनर्वास व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इस प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक पुनर्स्थापन को अलग-अलग न देखकर एक समन्वित पुनर्वास प्रक्रिया के रूप में अपनाना चाहिए। राज्य सरकार, जिला प्रशासन, बाल संरक्षण संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों के संयुक्त प्रयासों से बच्चों को सुरक्षित, स्वस्थ, शिक्षित और गरिमापूर्ण जीवन की ओर पुनः स्थापित किया जा सकता है।

वर्तमान व्यवस्था की कमियाँ एवं प्रभावी पुनर्वास के लिए सुझाव

बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं पुनर्वास के लिए विभिन्न संवैधानिक, कानूनी और संस्थागत व्यवस्थाएँ मौजूद हैं, फिर भी इनके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक कमियाँ दिखाई देती हैं। सबसे प्रमुख कमी कानूनों एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव है। कई बार बचाव की कार्रवाई बच्चों को सार्वजनिक स्थानों से हटाने तक सीमित रह जाती है और उनके दीर्घकालीन पुनर्वास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसके अतिरिक्त सरकारी विभागों, पुलिस, बाल संरक्षण संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों के बीच पर्याप्त समन्वय का अभाव भी प्रभावशीलता को कम करता है।

पुनर्वास के लिए पर्याप्त संसाधनों और प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या है। अनेक बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, मनो-सामाजिक परामर्श और सुरक्षित आवास की निरंतर सुविधा नहीं मिल पाती। परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का पर्याप्त मूल्यांकन न होने के कारण कुछ बच्चे पुनः भिक्षावृत्ति में लौट सकते हैं। बच्चों की पहचान, रिकॉर्ड रखने और पुनर्वास के बाद उनकी नियमित निगरानी की व्यवस्था को भी और मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रभावी पुनर्वास के लिए सबसे पहले बाल-केंद्रित एवं दीर्घकालीन पुनर्वास नीति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बचाव के बाद प्रत्येक बच्चे के लिए उसकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर पुनर्वास योजना तैयार की जानी चाहिए। बच्चों को विद्यालय से जोड़ने, स्वास्थ्य एवं पोषण सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा आवश्यकतानुसार मनो-सामाजिक परामर्श देने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसके साथ ही परिवारों को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना आवश्यक है। पुलिस, जिला प्रशासन, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई और **NGOs** के बीच नियमित समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। पुनर्वास के बाद निगरानी और फॉलो-अप व्यवस्था को मजबूत करने से बच्चों के दोबारा भिक्षावृत्ति में जाने की संभावना कम की जा सकती है। इस प्रकार प्रभावी कानून-प्रवर्तन के साथ शिक्षा, परिवार सशक्तीकरण और सामाजिक पुनर्स्थापन को जोड़ना ही स्थायी समाधान का आधार हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भारत का संविधान, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, भारत सरकार।
3. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, भारत सरकार।
4. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, भारत सरकार।
5. बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, संशोधित 2016।

6. उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975।
7. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR), बाल संरक्षण एवं बाल अधिकारों से संबंधित दिशा-निर्देश एवं रिपोर्ट, भारत सरकार।
8. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, Mission Vatsalya: Guidelines for Child Protection Services, नई दिल्ली।
9. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, Study on Child Beggars in India, नई दिल्ली।
10. UNICEF, The State of the World's Children, United Nations Children's Fund.
11. International Labour Organization (ILO), Child Labour: Global Estimates, Trends and the Road Forward, Geneva.
12. United Nations, Convention on the Rights of the Child, 1989.
13. United Nations, Guidelines for the Alternative Care of Children, 2009.